स्पीड पोसैट आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-306/2015 श्र0सं०-बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग

124

प्रेषक,

मो॰ सलीम,

श्रम आयुक्त, बिहार ।

संवा में,

जिला पदाधिकारी

सासाराम(रोहतास)/सारण(छपरा)/सीवान/औरंगाबाद/गया/नवादा/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/ शिवहर/प॰चंपारण(बेतिया)/वैशाली(हाजीपुर)/दरभंगा//समस्तीपुर/अररिया/कटिहार/

किशनगंज/पूर्णियौ/लखीसराय/मुंगेर/शेखपुरा ।

पटना, दिनांक :-

21.3.12

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण- मांग संख्या-26उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृद्दीकरण (विपन्न कोड-P-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.05.15 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित " बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू₀ 5000∕- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्रिक्से	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	पत्रांक/ज्ञापांक /दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	सासाराम(रोहतास)	10	50000	/14.03.16
2	तदैव	सारण(छपरा)	29	145000	131/22.02.16
3	तदैव	सीवान	11	55000	101/23.02.16
4	तदैव	औरंगाबाद	18	90000	215/10.03.16
5	तदैव	गया	26	130000	316/09.03.16
6	तदैव	नवादा	13	65000	167/15.03.16
7	तदैव	मुजफ्फरपुर	30	150000	589/15.03.16
8	तर्देव	सीतामढ़ी	28	140000	/10.03.16
9	तदैव	शिवहर	04	20000	/10.03.16
10	तदैव	प _ः चंपारण(बेतिया)	21	105000	71/20.02.16
11	तदैव	वैशाली(हाजीपुर)	54	270000	485/14.03.16
12	तदैव	दरभंगा	19	95000	397/15.03.16
13	तदैव	समस्तीपुर	24	120000	247/23.02.16
14	तदैव	अररिया	16	80000	347/14.03.16
15	त्रदेव	कटिहार	28	140000	267/15.03.16
16	तदैव	किशनगंज	65	325000	164/15.03.16
17	तदैव	पृणियाँ	32	160000	308/14.03.16
18	तदैव	लखीसराय	17	85000	147/14.03.16
19 .	तदेव	मुंगेर	22	110000	147/14.03.16
20	तदैव	शेखपुरा	09	45000	147/14.03.16

- विस विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.3.15, पत्रांक-5294 वि. दिनांक-17.6.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में हैं 1
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0- थ्रि परना, दिनांक थ्री - उ . 6 श्रम आयुक्ते, प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

• स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0- (२५ पटना, दिनांक २१-३ (४ आयुक्त, बिहार प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/

*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप/ श्रमायुक्त /संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा पदाधिकारी-01 श्रम पक्ष को उनके गै॰स॰प्रे॰सं॰-103 (श्रम पक्ष), कमश: दिनांक-16.03.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शास्त्रा (प्रशास्त्रा-०1) द्वारा किया जायेगा